अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

80/11/226

सीताराम वगै. बनाम लक्ष्मण वगै.

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील करते हुए
	2011/00038 ... श्री एम. पी. मौर्या श्री एल. एल. न्यायालय	
30/9/2019	पत्रावली पेश। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 ने आपत्ति की कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू ने अपने आदेश दिनांक 08.03.2011 द्वारा विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 226, 227, 145, 146 वाकै ग्राम बोराज तहसील मौजमाबाद से मिट्‌ठी नही उठाने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया हैं के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.03.2011 के विरूद्ध यह अपील चलने योग्य नहीं है तथा अपील न्यायालय हाजा में वर्ष 2011 में प्रस्तुत की गई और अभिभाषक अपीलांट शेष रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश नहीं कर रहें है इसलिए अपील खारिज की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपील चलने योग्य है किन्तु धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना इसलिए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू की पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रस्तुत अन्तरिम स्थगन आदेश की विरूद्व प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा दिनांक 08.3.2011को प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुना गया तथा विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 226, 227, 145, 146 वाकै ग्राम बोराज तहसील मौजमाबाद से मिट्‌ठी नही उठाने से अप्रार्थीगण/अपीलांटस जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया था जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है, जो अन्तरिम स्थगन आदेश है। चुंकि अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना इसलिए पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णित करें। **अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** (हस्ताक्षर) 30/9/19 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	